पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उर्दू-बांग्ला स्पेशल और मार्च 2015 के बाद नियुक्त शिक्षकों की नौकरी बचाने की बात कही। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है। उनको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इन शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। सरकार कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करे।

तेजस्वी ने कहा- सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई 2026 के आदेश के हवाले प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने 1 शिक्षकों, 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों और 2015-16 में नियुक्त उर्दू-बांग्ला स्पेशल शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है। उर्दू व बांग्ला स्पेशल शिक्षकों की नियुक्ति 2014 की प्रक्रिया की निरंतरता में अदालती आदेशों के तहत हुई थी। इनमें से कई अब प्रशिक्षित होकर सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं। विशिष्ट या प्रधान शिक्षक के पद पर हैं। नियोजन अभिलेख या मेधा सूची में प्रशासनिक खामी की सजा वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षकों को देना अन्यायपूर्ण है। इसके अलावा [illegible] परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों की सेवा सुरक्षित रहे। गायब अभिलेखों और प्रशासनिक त्रुटि के लिए दोषी अफसरों की जवाबदेही तय हो। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक वेतन रोकने व सेवा समाप्ति पर तत्काल रोक लगे।

उधर, तेजस्वी यादव वरिष्ठ समाजवादी नेता वशिष्ठ नारायण सिंह का हाल-चाल जानने आईजीआईएमएस पहुंचे। डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली। तेजस्वी ने चनपटिया विधायक अभिषेक रंजन की पुत्री का भी हाल-चाल लिया।

माजा-हलका में जमाबंदी संख्या 105 में कथित फर्जी बदलाव पर सख्त संज्ञान लिया है। शिकायत के अनुसार 50 वर्षों से चली आ रही जमाबंदी को ऑनलाइन किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज कर दिया गया। आयुक्त ने पश्चिमी चंपारण डीएम को निर्देश दिया कि दोषी कर्मी पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए। यह भी स्पष्ट किया जाए कि किस अधिकारी के आदेश पर जमाबंदी में परिवर्तन हुआ। आयुक्त ने कहा कि ऐसे मामलों में पुराने रिकॉर्ड से छेड़छाड़ लाभ की मंशा से किया गया कृत्य प्रतीत होता है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय, मौर्यालोक कॉम्पलेक्स, पटना–1

परिशिष्ट-IV-क [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले एवं प्रत्याभूति-दाता को यह सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पति जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित है, का सांकेतिक कब्जा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूति लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। नीचे उल्लिखित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं (प्रतिभूत लेनदार एवं संघ वित्त के तहत अग्रणी बैंक) की बकाया राशि एवं ब्याज तथा अन्य शुल्क की वसूली के लिए निम्नलिखित सम्पत्तियों को जहाँ है जैसा है एवं जो कुछ भी है के आधार पर **दिनांक 24.11.2026** को बेची जाएगी। प्रत्येक संपत्ति के लिए आरक्षित मूल्य एवं ईएमडी राशि नीचे दी गई है।

क्र. सं.	शाखा का नाम कर्जदार का नाम	बकाया राशि	संपति का विवरण	1. आरक्षित मूल्य 2. ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि) 3. बीड वृद्धि राशि 4. ई-नीलामी की तिथि एवं समय
1.	**शाखा-चितकोहरा** **1. बरुण कुमार शरण** पिता स्वर्गीय डॉ. आर एम शरण, फ्लैट संख्या-202, कार्तिक पैराडाइज, चितकोहरा बाजार, अनीसाबाद, थाना- गर्दनीबाग, जिला:पटना 800002 **2.सुश्री वीणा बाला सिन्हा** पति श्री बरुण कुमार शरण, निवासी द्वारा- एस के सिन्हा, राईस मार्केट, मंदिर के पीछे की ओर, चितकोहरा बाजार, थाना- गर्दनीबाग, जिला: पटना 800002	रु. 65,65,968 .00 + लागू ब्याज दर पर अतिरिक्त ब्याज	**बरुण कुमार शरण के नाम पर बंधक रखी गई संपत्ति** **संपत्ति का विवरण:** कार्तिक पैराडाइज में दूसरी मंजिल पर फ़्लैट संख्या 202, सुपर बिल्ट-अप एरिया 1343 वर्ग फ़ीट, जो चितकोहरा, परगना एवं सर्वे थाना-फुलवारी शरीफ़, वर्तमान थाना- गर्दनीबाग, ज़िला पटना में स्थित है; सर्वे थाना संख्या 17, एमभीआर कोड संख्या 114, तौजी संख्या 5120 एवं 18640, खाता संख्या 95 एवं 79, कैडस्ट्रल सर्वे प्लॉट संख्या 251 एवं 253 **डीड के अनुसार चौहद्दी-** उत्तर: साइड सेट बैक; दक्षिण: फ़्लैट संख्या 203, पूर्व: फ्रंट सेट बैक, पश्चिम: फ़्लैट संख्या 201	1. रु. 51,11,496.00 2. रु. 5,11,150/- (दिनांक 23.11.2026 को या उससे पहले निर्धारित संपत्ति के लिए) 3. रु. 50,000/- 4. दिनांक 24.11.2026 को सुबह 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे के बीच

सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात भारों का विवरण – ज्ञात नहीं

बोलीदाताओं को ऑनलाइन बोली में भाग लेने के लिए हमारी ई-नीलामी सेवा प्रदाता पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट (**https://www.ebkray.in**) पर जाने की भी सलाह दी जाती है। तकनीकी सहायता के लिए कृपया पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड के **हेल्पडेस्क नंबर 8291220220**, ईमेल आईडी: support.ebkray@psballiance.com एवं सेवा प्रदाताओं के हेल्प डेस्क में उपलब्ध अन्य हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करें। पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ पंजीकरण स्थिति एवं ईएमडी स्थिति के लिए कृपया support.ebkray @psballiance.com पर संपर्क करें। संपत्ति के विवरण, संपत्ति की तस्वीर एवं नीलामी के नियमों व शर्तों के लिए कृपया **https://www.ebkray.in** पर जाएं। **श्री मन्तेश्वर कुमार, चितकोहरा शाखा प्रमुख/अधिकृत अधिकारी मोबाइल नंबर - 9264291437 एवं श्री सुजीत कुमार, मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना (मोबाइल नंबर - 9264291503) से संपर्क करें।** बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे **https://www.ebkray.in** वेबसाइट पर संपत्ति खोजते समय आईडी नंबर का उपयोग करें।

दिनांक : 14.10.2026
स्थान : पटना

नोट:- विवाद की स्थिती में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

Dainik Bhaskar – 18.10.2026

Scanned with OKEN Scanner